न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/163
दायरा तिथि : 07.04.2025
आदेश तिथि : 23-04-2025
प्रार्थीगण :–

1. नितिन वैद पुत्र निरंजन कुमार वैद जाति जैन
2. मेसर्स वैद ग्रेनाइट के पार्टनर प्रमोद वैद पुत्र प्रेम कुमार वैद जाति जैन
3. राकेश वैद पुत्र प्रेम कुमार वैद जाति जैन
4. सुबोध वैद पुत्र निरंजन वैद जाति जैन निवासीगण मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 23-04-25

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 2 रकबा 1.98 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1133 रकबा 0.6300 हैक्टर व खसरा नंबर 1133/1350 रकबा 0.6800 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे नीले रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/936 दिनांक 23.04.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1133	0.63 हैक्टर	बारानी दोयम	116X9.10=1056 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	1133/1350	0.68 हैक्टर	बारानी दोयम	48X9.10=437 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि भू.अ. निरीक्षक बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 150000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/163

अनवान नितिन बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर 2 रकबा 1.98 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 2 रकबा 1.98 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 1133 रकबा 0.63 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1133/1350 रकबा 0.6800 हैक्टर में से **1044+432=1476 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 150000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1133	0.63 हैक्टर	116X9=1044 वर्गमीटर	15	15660X2=31320	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
1133/1350	0.68 हैक्टर	48X9=432 वर्गमीटर	15	6480X2=12960	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
		कुल 1476 वर्गमीटर		कुल 44280/–	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 44280/– (अक्षरे चौवालीस हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2025/359 - 363
दिनांक : 23-04-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक नितिन वैद पुत्र निरंजन कुमार वैद जाति जैन निवासी किशनगंज अजमेर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 09/04/2025 03:14:26 PM

जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

ग्राम : बेडा I

पटवार ... : बेडा I

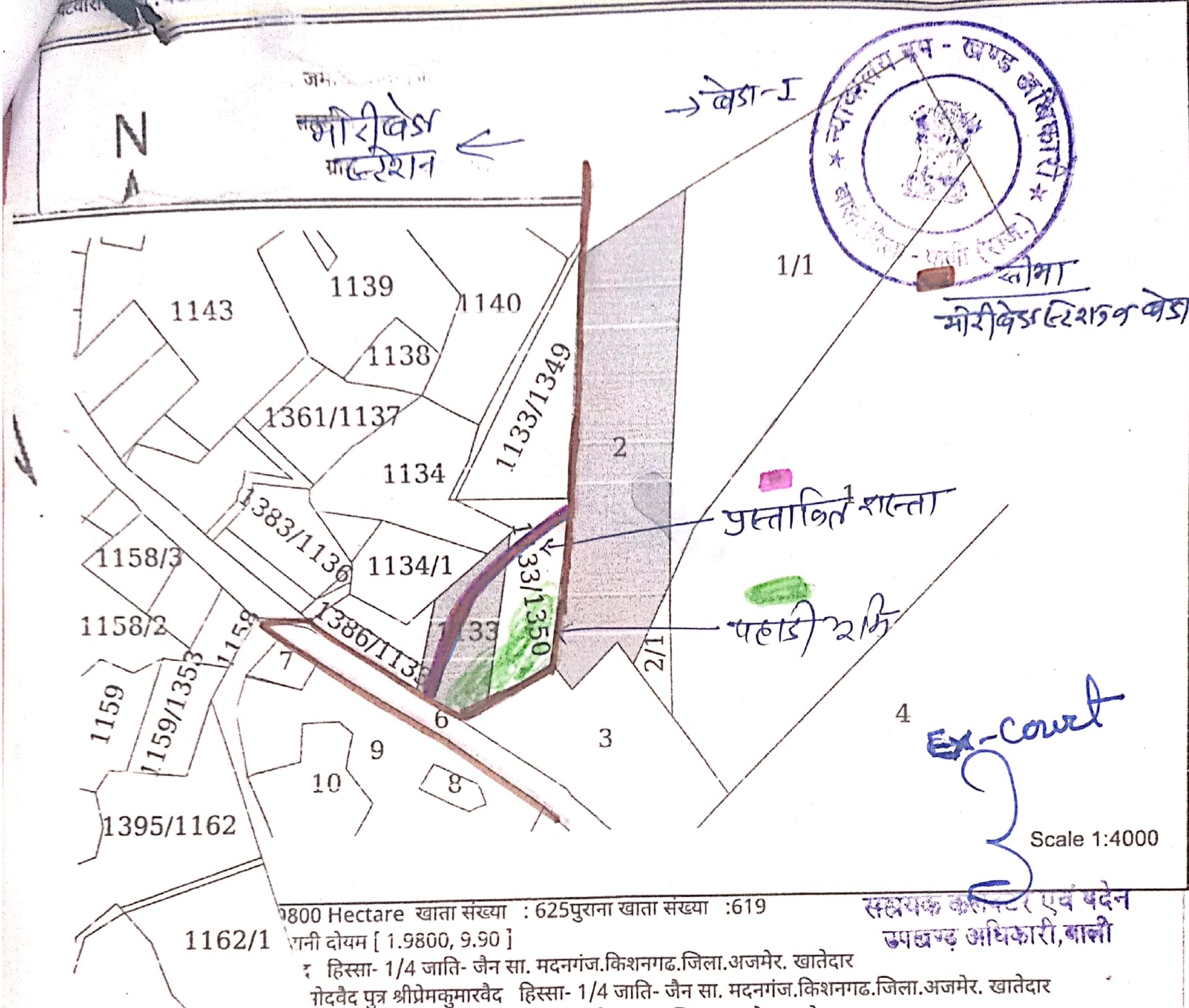

...0800 Hectare खाता संख्या : 625पुराना खाता संख्या :619

...रानी दोयम [1.9800, 9.90]

... हिस्सा- 1/4 जाति- जैन सा. मदनगंज.किशनगढ.जिला.अजमेर. खातेदार

...गोदवैद पुत्र श्रीप्रेमकुमारवैद हिस्सा- 1/4 जाति- जैन सा. मदनगंज.किशनगढ.जिला.अजमेर. खातेदार

... हिस्सा- 1/4 जाति- जैन सा. मदनगंज.किशनगढ.जिला.अजमेर. खातेदार

... 1/4 जाति- जैन सा. मदनगंज.किशनगढ.जिला.अजमेर. खातेदार

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

ILR-Beda

...133 क्षेत्रफल : 0.6300 Hectare खाता ...

...फल लगान]: बारानी दोयम [0.6300]

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार,बाली

...जानकारी के लिए है।

...य में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

...तिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

...ह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

...का उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं...

...विष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जि...

1133 = 116×9.10 =

1133/1350 = 40×9.10 =

Scanned with CamScanner